

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 142-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 8, 2022 (SRAVANA 17, 1944 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 8th August, 2022

No. 22-HLA of 2022/73/16017.— The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 22-HLA of 2022.

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

- 1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2022.
- 2. In section 87 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act),-
 - (i) in clause (c) of sub-section (1), for the words and signs "as the Government may, by notification, direct", the words and signs "as the Government may, by notification, in respect of each Corporation, direct" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2021;
 - (ii) for the words "The amount of the duty so collected shall be paid to the Corporation" existing at the end of sub-section (1), the words and sign "The amount of the duty so collected shall be paid to the Corporation or on behalf of the Corporation to the Haryana Urban Infrastructure Development Board for the development of infrastructure in any area of the Corporation of the State as the Government may determine, by notification" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April, 2021.
- 3. Section 330 of the principal Act shall be omitted.

Short title.

Amendment of section 87 of Haryana Act 16 of 1994.

Omission of section 330 of Haryana Act 16 of 1994. Substitution of section 331 of Haryana Act 16 of 1994.

- 4. For section 331 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
 - "331. Place/premises not to be used for certain purposes without licence.- (1) No person shall use or permit to be used any place/premises for the purpose specified by the Government as dangerous to life, health or property or likely to create nuisance, without or otherwise than in conformity with the terms of a licence granted by the Commissioner in this behalf.
 - (2) The Commissioner may impose such other conditions while granting licence, as it may deem necessary.".

Insertion of section 331A of Haryana Act 16 of 1994.

- 5. After section 331 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
 - "331A. Prohibition of keeping animals or birds in Municipal area.- Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, no quadruped animals or birds shall be permitted to be kept and reared within the limits of Corporation:

Provided that cat or dog or bird may be kept as domestic pets in terms of the licence granted by the Commissioner:

Provided further that cows or she-buffalos or any other milch animals or their young ones shall be allowed to be kept for domestic use in the villages falling in the outer periphery included in the limits of Corporation:

Provided further that villages falling in the outer periphery included in the limits of Corporation and the period for keeping milch animals on the basis of change in demographic profile of such areas shall be decided by the concerned Corporation by way of resolution. The Corporation shall also provide reasonable time for rehabilitation of animals from prohibited area to permitted area by its resolution.

Provided further that the provisions of this section shall not be applicable in zones where such kind of activities are permitted as per the plan notified under the provisions of the Haryana New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953), the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994):

Provided further that the provisions of this section shall not be applicable to cattle pounds & gaushalas owned/managed by the Corporation or any other department of the Government including registered gaushalas.

Explanation.- For the purposes of this section,-

- (i) "quadruped animals or birds" means animals or birds which are prohibited under any law for keeping and rearing;
- (ii) "villages falling in the outer periphery" means and includes such villages or areas, as specified by the Corporation as per demographic profile;
- (iii) "milch animals" means cow, she-buffalo, she-goat, she-camel etc. which are not prohibited under any law for keeping and rearing.".
- **6.** Section 335 of the principal Act shall be omitted.

Omission of section 335 of Haryana Act 16 of 1994

Omission of section 336 of Haryana Act 16 of 1994.

Amendment of section 352 of Haryana Act 16 of 1994.

- 7. Section 336 of the principal Act shall be omitted.
- **8.** For sub-section (2) of section 352 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(2) Notwithstanding any fee imposed by the Corporation under this Act or bye-laws made thereunder, for every licence or written permission, the Corporation may charge such fee at such rate and for such period, as specified by the Government from time to time."
- 9. The existing Second Schedule of the principal Act shall be omitted.

Omission of Second Schedule to Haryana Act 16 of 1994.

Amendment of Third Schedule of Haryana Act 16 of 1994.

10. In the Third Schedule of the principal Act, the entries under columns 1, 2, 3 and 4 related to sections 330, 335 and 336 shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

- 1. Stamp Duty was being released by the Directorate of Urban Local Bodies to Municipalities. Finance Department, Haryana *vide* U.O. No. 4/12/2016 dated 16.07.2020 had informed that two per centum Stamp Duty on account of registration of immovable properties situated in municipal areas will be transferred directly to Municipal Corporation and Directorate of Urban Local Bodies, Haryana in equal share of one per centum to each. This procedure has been implemented with effect from 01.04.2021.
- 2. However, Principal Accountant General (Audit), Haryana in its Inspection Report dated 02.02.2022 has pointed out that the procedure for distribution of Stamp Duty by Directorate of Urban Local Bodies to Municipal Corporations and to Directorate is not proper as the stamp duty is to be disbursed to the concerned Municipal Corporation only as per the provisions of the Act.

To remove this anomaly and to make these provisions consistent with the Government notifications issued in this regard, amendment in clause (c) of sub-section (1) of section 87 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 is required.

- 3. The provisions of trade/business license have been made in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 on the pattern of Punjab Municipal Act, 1911. Municipality was the only Regulatory Authority at that time but now many Regulatory Authorities are in place such as Pollution Control Board, Industrial Safety & Health under the Factories Act, 1948 etc. Inflammable articles are also regulated under separate statute by the designated authority. As such, there is no justification to issue licences by the municipalities for such type of businesses which are regulated by other statutory authorities. Relevant Sections of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 provide the provisions relating to obtaining trade/business licenses and renewal thereof on yearly basis. Presently, Municipal Corporations have the powers to fix rates of license fees after passing resolutions in their respective House Meetings. This practice has created anomalies in imposing trade license fees across the Municipal Corporations of the State at variance with each other which is creating confusion among the public.
- 4. It is inevitable to create uniformity in the trade license fees throughout all the Municipal Corporations in the State and also ensure uniformity in the applicability of trade licences by restricting it for the purposes which are specified by the Government as being dangerous to life, health or property or likely to create a nuisance. This will be helpful in easing business practices in urban areas by eliminating the multiplicity of regulating authorities. Further, the provision for restriction on keeping and rearing of animals or birds within the Municipal Corporation limits is being made. As such amendments in sections 330, 331, 335, 336 and 352 alongwith Second & Third Schedule of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 are required.
- 5. Hence, it is necessary to carry out amendments in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 16 of 1994) by way of enacting the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022.

	DR. KAMAL GUPTA, Urban Local Bodies Minister, Haryan	a.

Chandigarh: The 8th August, 2022.

R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 22-एच.एल.ए.

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।
1994 के
हरियाणा
अधिनियम 16
की धारा 87 का

संशोधन।

- 1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।
- 2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 87 में,—
 - (i) उप—धारा (1) के खण्ड (ग) में, ''जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे'' शब्दों तथा चिहनों के स्थान पर, ''जो सरकार, प्रत्येक निगम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे'' शब्द तथा चिहन प्रतिस्थापित किये जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2021 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
 - (ii) उप—धारा (1) के अन्त में विद्यमान, "इस प्रकार संगृहीत शुल्क की राशि निगम को भुगतान कर दी जाएगी" शब्दों के स्थान पर, "इस प्रकार संगृहीत शुल्क की राशि निगम अथवा राज्य के निगम के किसी क्षेत्र, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, अवधारित करे, में अवसंरचना के विकास के लिए निगम की ओर से हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड को भुगतान कर दी जाएगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे तथा 1 अप्रैल, 2021 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 330 का लोप।
1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 331

का प्रतिस्थापन।

मूल अधिनियम की धारा 330 का लोप कर दिया जाएगा।

- 4. मूल अधिनियम की धारा 331 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- "331. अनुज्ञप्ति के बिना कितपय प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किए जाने वाले स्थान / पिरेसर.—(1) कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो या जिससे उपद्रव पैदा होने की सम्भवना हो, इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों की अनुरूपता के बिना या अन्यथा से किसी स्थान / पिरेसरों का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।
 - (2) आयुक्त, अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे।"।

मूल अधिनियम की धारा 331 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"331क. नगरपालिका क्षेत्र में पशुओं या पक्षियों को रखने का प्रतिषेध.— इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किन्हीं चौपाया पशुओं या पक्षिओं को निगम की सीमाओं के भीतर रखने और पालने की अनुमति नहीं दी जाएगी :

परन्तु आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसार किसी बिल्ली या कुत्ता या पक्षी को पालतू के रूप में रखा जा सकता है :

परन्तु यह और कि गायों या भैंसों या किन्हीं अन्य दुधारू पशुओं या उनके बच्चों को निगम की सीमाओं में शामिल बाह्य परिधि में आने वाले गाँवों में घरेलू उपयोग हेतु रखने के लिए अनुमत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि निगम की सीमाओं में शामिल बाह्य परिधि में आने वाले गाँवों तथा ऐसे क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय संरचना में परिवर्तन के आधार पर दुधारू पशु रखने की अवधि, संकल्प के माध्यम से सम्बद्ध निगम द्वारा विनिश्चित की जाएगी। निगम अपने संकल्प द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र से अनुमत क्षेत्र में पशुओं के पुनर्वास हेतु युक्तियुक्त समय भी प्रदान करेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा के उपबन्ध उन जोनों को लागू नहीं होंगे, जहां हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1), हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) के उपबन्धों के अधीन अधिसूचित योजना के अनुसार इस तरह की गतिविधियां अनुमत हैं:

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 में धारा 331क का रखा जाना। परन्तु यह और कि इस धारा के उपबन्ध, पंजीकृत गौशालाओं सिंहत निगम या सरकार के किसी अन्य विभाग के स्वामित्वाधीन / प्रबन्धनाधीन मवेशीखानों तथा गौशालाओं को लागू नहीं होंगे। व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) ''चौपाया पशु या पक्षी'' से अभिप्राय है, ऐसे पशु या पक्षी, जिन्हें किसी विधि के अधीन रखना या पालना प्रतिषिद्ध है ;
- (ii) ''बाह्य परिधि में आने वाले गाँव'' से अभिप्राय है तथा में शामिल हैं, ऐसे गाँव या क्षेत्र, जिन्हें जनसांख्यिकीय संरचना के अनुसार निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (iii) ''दुधारू पशु'' से अभिप्राय है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी इत्यादि, जिसे किसी विधि के अधीन रखना या पालना प्रतिषिद्ध नहीं है।''।
- 6. मूल अधिनियम की धारा 335 का लोप कर दिया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 335 का लोप।

7. मूल अधिनियम की धारा 336 का लोप कर दिया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 336 का लोप।

8. मूल अधिनियम की धारा 352 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 352 का संशोधन।

"(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई उप—विधियों के अधीन निगम द्वारा अधिरोपित किसी फीस के होते हुए भी, प्रत्येक अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा हेतु, निगम ऐसी दर पर और ऐसी अविध के लिए ऐसी फीस प्रभारित कर सकता है, जो सरकार, समय—समय पर, विनिर्दिष्ट करे।"।

9. मूल अधिनियम की विद्यमान द्वितीय अनुसूची का लोप कर दिया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की द्वितीय अनुसूची का लोप।

10. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में, धारा 330, 335 तथा 336 से संबंधित खाना 1,2,3 तथा 4 के नीचे दी गई प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की तृतीय अनुसूची का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

- 1. निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हिरयाणा द्वारा पालिकाओं को स्टाम्प शुल्क दिया जा रहा था। वित्त विभाग, हिरयाणा के अशा० क्र० 4/12/2016 दिनांक 16.07.2020 द्वारा सूचित किया गया कि पालिका क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पित्तयों के पंजीकरण पर दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क, सीधे तौर पर सम्बन्धित नगर निगम एवं निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हिरयाणा को समान रूप से एक प्रतिशत प्रत्येक को स्थानांतिरत होगा। इस प्रक्रिया को 01.04.2021 से लागू किया गया।
- 2. तथापि, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हरियाणा ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.02.2022 में उल्लेख किया है कि निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा नगर निगमों तथा निदेशालय को वितरित किये जा रहे स्टाम्प शुल्क की प्रक्रिया उचित नहीं है, क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों अनुसार स्टाम्प शुल्क सम्बन्धित नगर निगम को ही दिया जाना है।

इस विसंगति को दूर करने तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुरूप लाने के लिए, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 87 की उप—धारा (1) के खण्ड (ग) में संशोधन की आवश्यकता हैं।

- 3. हिरयाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में व्यापार / व्यवसायिक लाईसैंस के प्रावधान पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के अनुरुप किये हुये हैं। उस दौरान केवल पालिका ही नियामक प्राधिकरण होती थी जबिक आज के समय में कई नियामक प्राधिकरणें जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि ने स्थान ले लिया हैं। अति ज्वलनशील सामग्रियाँ भी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अलग कानून के अंतर्गत विनियमित हैं। इस प्रकार अन्य वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा विनियम किये जाने वाले उद्योगों को पालिकाओं द्वारा भी लाईसेंस जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। हिरयाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की सम्बन्धित धाराओं में व्यापार / व्यवसायिक लाईसैंस प्राप्त करने व इनके वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करवाने का प्रावधान हैं। वर्तमान में नगर निगमों को अपने सदन की बैठकों में प्रस्ताव पास करके व्यापार / व्यवसायिक लाईसैंस फीस की दर निर्धारित करने की शिक्तयाँ प्राप्त हैं। इससे राज्य की नगर निगमों में व्यापार / व्यवसायिक लाईसैंस फीस का निर्धारण करने में भिन्नतायें हो गई हैं, जो जन—साधारण में भ्रांति उत्पन्न कर रहा है।
- 4. अतः राज्य के सभी नगर निगमों में व्यापार / व्यवसायिक लाईसैंस फीस की दर निर्धारित करने में एकरुपता तथा इनकी अनिवार्यता को सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये ऐसे प्रयोजन जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हों या जिससे उत्पात उत्पन्न होने की सम्भावना हो, तक लागू रखने की अति आवश्यकता है।यह नियामक प्राधिकरणों की बहुलता को समाप्त करके शहरी क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को आसान करेगा। इसके अतिरिक्त, पशुओं एवं पिक्षयों को नगर निगमों की सीमा में रखने एवं पालने की पाबंदियों के लिए प्रावधान किया जा रहा हैं। इस प्रकार हिरयाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धाराएं 330, 331, 335, 336 तथा 352 के साथ द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है।
- 5. इसलिये, यह आवश्यक है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) में हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 के द्वारा संशोधन किया जाये।

डॉ कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ः दिनांक 8 अगस्त, 2022. आर० के० नांदल, सचिव।